



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21611

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

### लखनऊ

आदेश से प्रथम अपील सं. 188 वर्ष 2017

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

जय शर्मा एवं 2 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : आलोक शर्मा, हर्षा यादव, मानेन्द्र नाथ राय

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय सं. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. अपीलार्थी की विद्वान् अधिवक्ता सुश्री हर्षा यादव को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन

किया गया।

2. नोटिस तामील होने के बाद भी प्रत्युत्तरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आदेश से वर्तमान प्रथम अपील, रेल दावा अधिकरण, लखनऊ द्वारा वाद सं. ओ ए/II/यू/33/2008 में, प्रत्युत्तरदातागण/दावेदारों के पक्ष में 18.01.2008 से 6% की दर से ब्याज सहित, ₹ 4.00 लाख की राशि का प्रतिकर अधिनिर्णीत करते हुए, पारित निर्णय और अधिनिर्णय दिनांक 27.10.2016 पर आपत्ति करते हुए रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 23 के अधीन अधिमानित की गई है।

4. मामले का तथ्यात्मक आव्यूह यह है कि 22.12.2007 को, मृतक सुनील शर्मा, जब ट्रेन सं. 4123-इंटरसिटी एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी के टिकट पर लखनऊ से कानपुर सेंट्रल की यात्रा कर रहा था। दुर्घटनावश मानक नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ के पास नीचे गिर गया था और गंभीर चोटें आई थीं और बाद में स्थल पर मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के दौरान, उसका बैग, रेल टिकट और मृतक का कुछ धन खो गया था।

5. इसके बाद, मृतक के परिवार के सदस्यों ने रेल दावा अधिकरण, लखनऊ के समक्ष ₹ 8,00,000 के प्रतिकर की मांग करते हुए एक दावा याचिका दाखिल की थी। अधिकरण ने अभिवचनों का परिशीलन करने और पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद निम्नलिखित विवादक विरचित किए थे:

*"1. क्या मृतक प्रश्नगत ट्रेन का एक सद्भाविक यात्री था ?*

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. क्या मृतक की मृत्यु की घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124(क) के अंतर्गत

आती है ?

3. क्या आवेदक मृतक पर एकमात्र आश्रित है ?

4. किस अनुतोष के लिए ?"

6. अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री पर विचार करने और पक्षकारों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि मृतक एक सद्भावपूर्ण यात्री था, यद्यपि दुर्घटना में उसका टिकट खो गया था, और इस प्रकार हुई मृत्यु, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124(क) की परिधि में आती है और तदनुसार, निर्णय और आदेश दिनांक 27.10.2016 के माध्यम से, ब्याज सहित ₹ 4,00,000/- का प्रतिकर प्रदान किया था। इस आदेश पर अपीलार्थी-भारत संघ द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से आपत्ति की गई है।

7. अपीलार्थी की विद्वान् अधिवक्ता सुश्री हर्षा यादव ने निवेदन किया है कि मृतक के पास कोई रेल टिकट नहीं मिला था, और उन्होंने अग्रेतर निवेदित किया है कि अन्वेषण के दौरान यह पाया गया था कि मृतक कोई यात्री नहीं था, बल्कि दुर्घटना के समय वह रेलवे लाइन पार कर रहा था।

8. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. जहां तक प्रथम तर्क का संबंध है, यदि साक्ष्य द्वारा समर्थित होता है, तो वैध रेल टिकट होना आवश्यक नहीं है। वर्तमान मामले में, मृतक के भाई ने एक शपथपत्र दिया है कि उसने मृतक को रेल टिकट खरीदते हुए देखा था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम रीना देवी**, [2019 (3) एस सी सी 572] में प्रकाशित 09.05.2018 को विनिश्चित, मामले निर्णीत किया है कि:-

*"तथापि, ऐसे घायल या मृतक के पास मात्र टिकट न होना, इस दावे को अमान्य नहीं करेगा कि वह एक सद्भावपूर्ण यात्री था। आरंभिक भार दावाकर्ता पर होगा, जिसका सुसंगत तथ्यों का शपथपत्र दाखिल करके निर्वहन किया जा सकता है, और तब भार रेलवे पर स्थानांतरित हो जाएगा, और इस विवादक का विनिश्चय दर्शित तथ्यों अथवा विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है।"*

10. जहां तक द्वितीय तर्क का संबंध है, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थीगण द्वारा किया गया तर्क रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124(क) के परंतुक की परिधि में नहीं आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम प्रभाकरन विजयकुमार एवं अन्य**, (2008) एस सी सी 527 में प्रकाशित मामले में निर्णीत किया है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124(क) रेलवे दुर्घटनाओं के मामले में कठोर दायित्व या दोष-रहित दायित्व प्रतिपादित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करती है। इसकी पुष्टि, माननीय उच्चतम न्यायालय के, **भारत संघ बनाम रीना देवी (उपर्युक्त)** के वाद में भी की है।

11. तदनुसार, प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उठाए गए दोनों तर्कों में कोई सार नहीं है और उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

12. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों की दृष्टि से, मैं रेल दावा अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.10.2016 में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं पाता हूँ।

13. प्रस्तुत अपील सारहीन है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

मार्च 24, 2026

अर्जुन/

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”